

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक)
समस्तीपुर

अधिसूचना :

महाप्रबंधक (कार्मिक)/हाजीपुर के पत्र सं० ECR-HQ0PERS(EC)/1/2024 (Computer No. 327800), दिनांक-08.01.2026 एवं ECR-HQ0PERS(RULE)/0006/2026 (Comp No. 366438), दिनांक-25.03.2026 के आलोक में समस्तीपुर मंडल के कार्मिक विभाग में प्रवर लिपिक, लेवल-5 के 66⅔% कोटा के तहत विभागीय पदोन्नति कोटा के निम्न रिक्तियों को कार्मिक विभाग के अवर लिपिक, लेवल-2 के कर्मचारियों से वरियता सह सुयोग्यता जाँच के आधार पर CBT Mode द्वारा लिखित परीक्षा/सुयोग्यता जाँच कराये जाने का विनिश्चय किया गया है।

1. रिक्तियों का विवरण -

सामान्य	अजा	अजजा	कुल रिक्ति	दिव्यांग (PwBD)
04	02	00	06	01 (HH-01) Horizontally Reserved

2. पात्रता एवं शर्तें :

कार्मिक विभाग के अवर लिपिक, लेवल-2 के वैसे वरिष्ठ कर्मचारी, जो टंकण जाँच में उत्तीर्ण हो अथवा जिन्हें प्रशासन द्वारा रेलवे बोर्ड के प्रभावी निर्देशों के आलोक में टंकण जाँच से मुक्त रखा गया है सुयोग्यता जाँच की लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र होंगे।

3. पात्र कर्मचारियों की सूची :

क्रम सं०	कर्मचारी का नाम (सर्वश्री)	HRMS ID	समुदाय	पदनाम/वेतन लेवल	कार्यरत
1	Ravi Kumar Singh	YMHBWJ	OBC	अवर लिपिक, लेवल-2	मंरेप्र(कार्मिक), समस्तीपुर
2	Deepak Kumar Mukhiya	ANNGHL	OBC	अवर लिपिक, लेवल-2	मंरेप्र(कार्मिक), समस्तीपुर
3	Manisha Kumari	PTBXOG	SC	अवर लिपिक, लेवल-2	सकाधि (कार०+भंडार)/सम०

4. महाप्रबंधक (कार्मिक)/हाजीपुर के पत्र सं० ECR-HQ0PERS(RULE)/28/2022 (Computer No. 192851), दिनांक-16.12.2022 के आलोक में बिना टंकण जाँच परीक्षा उत्तीर्ण किये, पदोन्नति हेतु सुयोग्यता जाँच परीक्षा में नहीं बुलाये जाने का निर्देश है। उक्त के आलोक में निम्नलिखित कर्मचारी जो टंकण जाँच परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है/जिन्हें प्रशासन द्वारा रेलवे बोर्ड के प्रभावि निर्देशों के आलोक में टंकण जाच से मुक्त नहीं रखा गया है, को सुयोग्यता जाँच में शामिल नहीं किया जा रहा है।

- श्री वैभव राज, अवर लिपिक(कार्मिक), लेवल-2, मंरेप्र(कार्मिक), समस्तीपुर
- श्री अमर पाठक, अवर लिपिक(कार्मिक), अधिन सकाधि (कार०+भंडार)/सम०

5. चयन की प्रक्रिया:-

- महाप्रबंधक (कार्मिक)/हाजीपुर के पत्र सं० ECR-HQ0PERS(EC)/1/2024 (Computer No. 327800), दिनांक-08.01.2026 में दिये गये निर्देश के आलोक में सुयोग्यता जाँच हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन पूर्णतः Centralized Computer Based Test (CBT Mode) द्वारा होगी।
- आरबीई सं० 196/2018, दिनांक- 14.12.2018 के अनुसार सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पिय प्रकार के होंगे। प्रश्नपत्र द्विभाषीय (हिन्दी एवं अंग्रेजी) माध्यम में होंगे। कुल प्रश्नों का 10% प्रश्न राजभाषा से होगा, जिसका उत्तर अनिवार्य नहीं होगा।
- समय अवधि - 02 घंटा अथवा CBT Mode में अंकित निर्देश।
- प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान नहीं किये जाएंगे (आरबीई सं० 194/2019) अथवा CBT Mode में अंकित निर्देश।
- परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु अर्हक अंक के रूप में सामान्य समुदाय के कर्मचारी को 50% एवं अजा/अजजा समुदाय के कर्मचारी को 40% अंक लाना अनिवार्य होगा।

6. पाठ्यक्रम:

महाप्रबंधक (कार्मिक)/हाजीपुर के पत्र सं० ECR-HQ0PERS(RULE)/0006/2026 (Comp No. 366438), दिनांक-25.03.2026 द्वारा प्रेषित पाठ्यक्रम की प्रति संलग्न है।

क्रमश पृष्ठ 02 पर

-02-

7. पात्र अभ्यर्थियों हेतु परीक्षा के लिए आवश्यक अनुदेश :
परीक्षा के दौरान किसी प्रकार का कदाचार या अन्य अशोभनीय कार्य की अनुमति नहीं होगी। इस तरह के हरकत के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी। लिखित चयन परीक्षा CBT MODE पर आधारित होगा, जिसके लिये समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देश का अनुपालन पात्र कर्मचारी अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे। सुयोग्यता जाँच लिखित परीक्षा की तिथि की सूचना बाद में दी जायेगी। संबंधित कर्मचारी इसे परीक्षा की नोटिस समझें। प्रशासन अल्प सूचना आधार पर तिथि निर्धारित कर सकती है। यह स्पष्ट किया जाता है कि पूरक परीक्षा नहीं जी जायेगी।
8. यदि किसी कर्मचारी को पात्र/अपात्र सूची पर कोई आपत्ती हो, तो दिनांक-30.04.2026 तक अपना अभ्यावेदन संक्षम अधिकारी से अग्रसारित कराकर मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक), समस्तीपुर के EGRS अनुभाग में जमा करावेंगे। उक्त तिथि के बाद प्राप्त अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
9. संबंधित शाखाधिकारी से अनुरोध है, कि अपने कार्यालय के सूचनापट्ट पर इसे प्रदर्शित करते हुए इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करेंगे। यदि कोई कर्मचारी अवकाश आदि पर हैं, तो उन्हें वर्तमान पते पर अवश्य सूचित किया जाय।

संलग्नक: पायक्रम की प्रति (02 पृष्ठ)

Digitally signed by
TRILOK NATH VERMA
Date: 20-04-2026
18:15:45

(त्रिलोक नाथ वर्मा)
सहायक कार्मिक अधिकारी-।।।
कृते मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक)
समस्तीपुर
दिनांक : 20.04.2026

संख्या- ECR-SPJ0PERS(SELE)/1/2023 (Computer No. 225139)

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

01. महाप्रबंधक(कार्मिक)/हाजीपुर

02. वंकाधि/समस्तीपुर।

03. कार्याधी गोपनीय अनुभाग।

04. मंडल मंत्री/ईसीआरईयू एवं अजा/अजजा/ओबीसी एशो0 समस्तीपुर मंडल।

05. मु0 कार्याधी - एमपीपी सेल (कार्मिक कार्यालय में)- कृपया इसे रेलवे के वेबसाईट पर अपलोड करें।

06. संबंधित कर्मचारी।

07. नोटिस बोर्ड।

Syllabus for Suitability test for promotion to the post of Sr. Clerk – Cum – typist, Level – 5

against 66.66% DPQ in all Department over East Central Railway.

Sl. No.	Subject
1.	Organizational Structure of Ministry of Railways at Railway Board, Zonal Railways, Divisional/Unit levels.
2.	<u>Office Procedure:</u> a. Management of DAK and Receipts. b. File Management c. Records Management including records retention Schedule. d. Classification of documents and handing of classified documents. e. Dealing of VIP, MP, MLA and CA – III references.
3.	<u>Forms of Communications:</u> a. Letter/DO writing b. Notifications c. Writing Noting on files.
4.	Award of Works in Works Programme.
5.	Procedure for Stores Procurement (including through GeM).
6.	Statutory Audit/Accounts Inspection Notes, Draft Paras.
7.	Standards of financial propriety.
8.	Railway Housing (Railway Quarters allotment) Policy.
9.	Discipline & Appeal Rules and Conduct Rules.
10.	Medical examination and Medical facilities available to Railway employee.
11.	Man Power Planning – Vacancy Bank, Creation of Posts, Benchmarking, Supernumerary Posts, Redeployment of surplus staff, Redistribution of posts & Training.
12.	Recruitment, Selection & Suitability, Seniority, Grant of MACPs benefit and APAR.
13.	Pay and Allowances.
14.	Pass Rules.
15.	Leave Rules.
16.	Railway Pension Rules (OPS, NPS & UPS)
17.	Railway Servants (Hours of Work & Period of Rest) Rules – 2005.
18.	Staff Benefits Fund.
19.	Model Schedule of Powers.
20.	Right to Information Act – 2005.
21.	Official Language Policy, Act and Rules.
22.	Recognition and facilities to Trade Union/Associations.
23.	CPGRAM, HRMS, e – office & UMID.

Note – 1 : Questions set in the paper will be normally to assess the understanding of the candidates w. r. t. various topics as above which various ministerial staff are required to know.

Note – 2 : 10 % of the total marks will be from Official Language Policy, Act and Rules which will be optional.

पूर्व मध्य रेल/हाजीपुर

66.66 % विभागीय पदोन्नति कोटा के तहत वरिष्ठ लिपिक (लेवल-5) के लिखित परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम

1. रेलवे बोर्ड, जोनल रेलवे, मंडल/इकाई स्तरों पर रेल मंत्रालय की संगठनात्मक संरचना ।
2. कार्यालय की प्रक्रिया
क). डाक और प्राप्तियों (रसीद) का प्रबंधन ।
ख). फाइल प्रबंधन ।
ग). अभिलेख प्रबंधन, जिसमें अभिलेख संरक्षण अनुसूची भी शामिल है ।
घ). दस्तावेजों का वर्गीकरण और गोपनीय दस्तावेजों का प्रबंधन ।
ड). वीआईपी, एमपी, एमएलए और सीए-।।। संदर्भों का निपटान ।
3. संचार के रूप
क). पत्र लेखन/कार्यालय लेखन ।
ख). अधिसूचनाएँ ।
ग). फाइलों पर टिप्पणियाँ लिखना ।
4. कार्य योजना में कार्यो का आवंटन ।
5. भंडार खरीद की प्रक्रिया (GeM के माध्यम से भी)
6. वैधानिक लेखा परीक्षा नोटिस ड्राफ्ट पैरा ।
7. वित्तीय औचित्य के मानक
8. रेलवे आवास (रेलवे आवास आवंटन) नीति ।
9. अनुशासन एवं अपील नियम तथा आचरण नियम ।
10. रेलवे कर्मचारी के लिए चिकित्सा जाँच एवं चिकित्सा सुविधाएँ ।
11. मानव शक्ति नियोजन – रिक्त बैंक, पदों का सृजन, बेंचमार्किंग, अतिरिक्त पद, सरपल्स कर्मचारियों की पुर्ननियोजन, पदों का पुर्नवितरण एवं प्रशिक्षण ।
12. भर्ती, चयन और उपायुक्ता, वरिष्ठता, एम.ए.सी.पी का लाभ और ए.पी.ए.आर का अनुदान ।
13. वेतन एवं भत्तों ।
14. पास नियम ।
15. छुट्टी नियम ।
16. रेलवे पेंशन नियम (OPS, NPS & UPS)
17. रेलवे कर्मचारी (कार्य के घंटे एवं विश्राम अवधि) नियम – 2005
18. कर्मचारी लाभ निधि ।
19. MODEL MSOP (शक्तियों की मॉडल अनुसूची)
20. सूचना का अधिकार अधिनियम –2005
21. राजभाषा नीति, अधिनियम एवं नियम ।
22. ट्रेड यूनियन/एसोसिएशनों का मान्यता और सुविधाएँ
23. HRMS, CP-GRAM, e.office & UMID

नोट : 1. प्रश्न पत्र में पूछे गए प्रश्न सामान्यतः विभिन्न विषयों के संबंध में अभ्यर्थियों की समझ का आकलन करने के लिए होंगे, जिन्हें कर्मचारियों को जानना आवश्यक है ।

नोट : 2. कुल अंको का 10% अंक राजभाषा नीति, अधिनियम और नियमों से होगा, जो वैकल्पिक होगा ।
